

1. प्रभागीय वनाधिकारी
2. मुख्य चिकित्साधिकारी
3. जिला विकास अधिकारी
4. परियोजना निदेशक, डीआरडीए
5. उपायुक्त, मनरेगा
6. उपायुक्त, एनआर0एल0एम0
7. जिला विद्यालय निरीक्षक
8. उच्च शिक्षा अधिकारी
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
10. उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी (ऊसर सुधार)
11. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
12. जिला पंचायत राज अधिकारी
13. डिप्टी आर0एम0ओ0
14. जिला पूर्ति अधिकारी
15. जिला समाज कल्याण अधिकारी
16. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
17. जिला प्रोबेशन अधिकारी
18. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
19. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
20. जिला कार्यक्रम अधिकारी
21. अधि0 अभियन्ता, जल निगम (नगरीय/षष्ठम/गंगा प्रदूषण इकाई)
22. महाप्रबन्धक, जलकल
23. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत(नोडल)/मुख्य अभियन्ता, विद्युत

24. अधि0 अभि0, लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0/नि0ख0-1/पीएमजीएसवाई)
25. जिला सेवायोजन अधिकारी
26. सहायक श्रमायुक्त
27. जिला समन्वयक, कौशल विकास मिशन
28. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
29. सहायक आयुक्त, सहकारिता
30. परियोजना अधिकारी, डूडा
31. जिला खान अधिकारी
32. अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियन्त्रण विभाग,
33. उपायुक्त, उद्योग
34. जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी
35. परियोजना अधिकारी, नेडा
36. उप निदेशक, पर्यटन
37. लीड बैंक मैनेजर
38. सहायक निदेशक, रेशम
39. उप दुग्धशाला विकास अधिकारी
40. जिला युवा कल्याण अधिकारी
41. सहायक निदेशक, मत्स्य वाराणसी।
42. परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम वाराणसी
43. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी खण्ड वाराणसी
44. अधि0 अभि0, नलकूप खण्ड-1
45. सहायक निदेशक, हथकरघा वाराणसी
46. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
47. प्रधानाचार्य, पालीटेक्निक/आई0टीआई0, चौकाघाट एवं करौंदी

जनपद- वाराणसी।

विषय: विकास कार्यक्रमों की मासिक बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 15 जुलाई, 2025 को सांय 3:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार, वाराणसी में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि है कि कृपया उक्त बैठक में ससमय स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(संजीव कुमार बघेल)

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
वाराणसी।

दिनांक: 14 जुलाई, 2025

पत्रांक: 499 / मासिक बैठक / 2025-26

प्रतिलिपि:-

1. आशुलिपिक, जिलाधिकारी वाराणसी को जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
3. नाजिर, कलेक्ट्रेट वाराणसी को सभागार आरक्षित करने हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी को बैठक हेतु अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने हेतु।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
वाराणसी।